न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 04/18,

रामदेव सादा, ग्राम पंचायत– कठडुमर,
थाना– सिमरी बख्तियारपुर (ओ०पी०कनरिया),
प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर,
जिला– सहरसा।

बनाम

बिहार सरकार

–:आदेश:–

(4)

06.12.2019

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक के ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में की गई है। आवेदक द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 1394–2, दिनांक– 05.10.2017 के विरूद्ध है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 1394–2, दिनांक– 05.10.2017 में वर्णित है कि:–

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक 151–2 दिनांक 09.09.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थलीय जाँच के क्रम में श्री रामदेव सादा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत– कठडुमर, प्रखण्ड– सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा वार्ड नं०– 05, 06, एवं 07 के लाभुकों को माह अप्रैल, 2017 एवं मई, 2017 का खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव किया गया है। उठाव के उपरान्त उक्त माह का अनाज का वितरण लाभुकों के बीच नहीं किया गया। लाभुकों के ब्यान से भी स्पष्ट है कि इनके द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल वितरण में घोर अनियमितता बरती गयी है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता (नियत्रंण) आदेश के आलोक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर इनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा किए हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1236–2, दिनांक 13.09.17 के द्वारा श्री रामदेव सादा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जवाब तथ्य से पड़े, बेवूनियाद, मनगठंत एवं काल्पनिक प्रतीत होता है। पुनः अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1307–2, दिनांक 23.09.17 के द्वारा बिन्दुवार स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु श्री सादा के द्वारा जवाब भी देना उचित नहीं समझा गया। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंधन, मनमानी एवं अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में अक्षम हैं।

अतएव प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर अनुशंसा के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम– 14, के धारा (i) (iv) एवं 27 (i) के तहत श्री रामदेव सादा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत कठडुमर, प्रखण्ड– सिमरी बख्तियारपुर को दोषी मानते हुए इनके अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/–
अनुमंडल पदाधिकारी,
सिमरी बख्तियारपुर।

आवेदक के ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित उक्त आदेश पर आपत्ति प्रकट कर कहना है कि वे ग्राम पंचायत कठडुमर वार्ड नं० 05. 06 एवं 07 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। उनके द्वारा आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों का ससमय उठाव कर लाभुकों को सही मूल्य और वजन के साथ वितरित किया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा स्थानीय जातिगत राजनीति के तहत इन्हें परेशान करने के उद्देश्य से इनके विरूद्ध आवेदन दिया गया। तदनुसार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। पूछे गये स्पष्टकीरण के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण लगाये गये आरोप के संबंध में इनके द्वारा प्रभावी एवं सटीक प्रतिउत्तर दाखिल किया जाना संभव नहीं हो सका। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिये बिना ज्ञापांक 1394–2 दिनांक 05.10.17 से इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो उचित नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने के क्रम में इस तथ्य की अनदेखी की गई कि ग्राम पंचायत कठडुमर के पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य के साथ मुखिया व अन्य ग्रामीणों द्वारा भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से किसी प्रकार के शिकायत नहीं होने के संबंध में लिखित आवेदन दिया गया है।

आवेदक के ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा आवेदक के ओर से दाखिल कारण–पृच्छा और तथ्यों पर समुचित विचार किए बिना अपना आदेश पारित किया गया है। अतः आवेदक के ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– ज्ञापांक 1394–2 दिनांक 05.10.17 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के साथ बिहार सरकार के ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना और निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवेलाकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा दिनांक 08.09.2017 को कठडुमर पंचायत में स्थलीय जाँच किया गया। जाँच के क्रम में वार्ड नं० 05, 06 एवं 07 के

लाभुकों द्वारा अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न नहीं मिलने के संबंध में शिकायत किया गया। इस संबंध मे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक से मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण पुनः ज्ञापांक 1307–2, दिनांक 23.09.17 द्वारा आवेदक से द्वितीयक स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका जवाब आवेदक द्वारा नहीं दिया गया।

आवेदक द्वारा अपने निर्दोष होने के संबंध में इस न्यायालय में भी जो मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित अनुलग्नक 04 दाखिल किया गया है, वह आवेदक के संबंध में न होकर अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता उमेश चौधरी के संबंध में है। इस प्रकार आवेदक द्वारा अपने निर्दोष होने के दावे के संबध में यहाँ भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2016 के कंडिका 14 में उचित मूल्य की दुकान का संचालन तथा अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है।

कंडिका 14 (i) के अनुसार–

''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''

कंडिका 14 (iv) के अनुसार–

''अनुज्ञप्तिधारी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा।

साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की विक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमो देगा जिसमे उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/निशान लेगा। कैशमैमो की कार्बन प्रति भी मूल प्रति के तरह मुद्रित रहेगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और पता भी मुद्रित रहेगा।''

साथ ही बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2016 के कंडिका 27 में अनुज्ञप्ति रद्दकरण का प्रावधान है। कंडिका 27(i) में अंकित है कि–

'' यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी इस के प्रावधनों का उल्लंधन करता है अथवा अनुज्ञप्ति में समनुदेशित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जायेगी और अनुज्ञप्ति का यह रद्दकरण आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरूद्ध की गयी या की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।''

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुप्तिधारी अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन करने में विफल रहे। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी

द्वारा लगाये गये आरोपों का सूक्ष्मता के साथ विवेचन करते हुए आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

इस प्रकार समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः आवेदक का अपील आवेदन खारिज किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1394–2, दिनांक– 05.10.2017 को संपुष्ट किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 85 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.20

प्रतिलिपि :– श्री रामदेव सादा, श्री उमेश चौधरी ज०वि०प्र०विक्रेता पंचायत–कठडुमर से संबंधित संचिका संख्या 11–85/2012, से संबंधित मूल अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14/01/20